न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—423सन् 2015

कृष्णा दास.......................................वादी।

बनाम

राम नारायण सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक—05.07.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। अभिलेख आवेदक की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 11.01.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदक का आवेदन में कथन है कि वादी ने यह मोकदमा तकरारी एराजी पर अपना हकियत घोषित करने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। मोकदमा के कार्यवाही के दौरान वादी कृष्णा दास की मृत्यु दिनांक 17.12.2021 को हो गई है। आवेदक स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। न्यायहित में वादी सं0 01 कृष्णा दास का नाम कलमजद होना एवं उनके जायज वारिसानों को वादी के खाने में प्रतिस्थापित होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि कृष्णा दास का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके जायज वारिसानों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 05.04.2022 को दाखिल कर कथन है कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन कानूनन काबिल खारिज के है। वादी द्वारा इसी आशय का आवेदन दिनांक 22.06.2021 को दिया था परंतु मृतक के बारे में वादी को सही जानकारी नहीं होने से पुनः उक्त आवेदन पत्र को वापस ले लिया जिसके वजह से वादीगण का आवेदन काबिले खारिज के है। वादी सं0 01 की मृत्यु की तिथि भी आवेदन में दाखिल नहीं किया गया है और वादी आवेदन पत्र के माध्यम से लेकुना को भरने के ख्याल से दाखिल किया है जिसके कारण उक्त आवेदन खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में वादी सं0 01 के रूप में कृष्णा दास थे जिनकी मृत्यु अपने जायज वारिसनों को छोड़कर दिनांक 17.12.2021 को हो गई है। आवेदक के द्वारा उक्त आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त आवेदन में लिखित आवेदकगण को वादी सं0 01 कृष्णा दास के स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.................को वादी के साक्ष्य हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।